शासकीय मुकुटधर पाण्डेय महाविद्यालय, कटघोरा

ज़िला- कोरबा (छ॰ग॰)

(स्थापना- 16 दिसम्बर 1985)

(अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर से सम्बद्ध)

प्रवेश विवरणिका

सत्र-2025-26

NAAC ACCREDITED CGPA- 1.96

Website – www.gomdp.ac.in

E Mail- mdpcollegektg@gmail.com

Facebook Page – facebook.com/gomdp

अनुक्रमणिका

1. प्राचार्य की कलम से – 2
2. महाविद्यालय का परिचय - 3
3. प्राचार्य सूची - 4
4. छात्र संघ एवं प्रतिभावान सूची - 5
5. स्नातक-स्नातकोत्तर के विषय – 6
6. विषय समूह चयन - 7
7. प्रवेश नियम - 8-17
8. विद्यार्थियों हेतु आचार संहिता – 18
6. शुल्क विवरण - 19

महाविद्यालय के विभिन्न शैक्षणेत्तर विभाग/ सुविधाएँ/उपलब्धियाँ

7.विश्वविद्यालयीन परीक्षा /छात्रवृत्ति – 21
8. जनभागीदारी - 22
9. अन्य गतिविधियाँ – 23-24
10. छात्रवृत्ति नियमावली - 25
11. फ़ैकल्टी एवं कार्यालय स्टाफ़ – 26
12. ग्रंथालय परिचय - 27
12. आवेदन पत्र - 28-33
13. महाविद्यालय की झलकियाँ - 34- 40

प्राचार्य की कलम से ...

प्रिय छात्र- छात्राओं,

शासकीय मुकुटधर पांडेय महाविद्यालय, कटघोरा में समस्त महाविद्यालयीन परिवार आपका स्वागत करता है। ईश्वर आपके भविष्य को उज्जवल एवं सफल बनाए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके शैक्षणिक स्तर को उच्च से उच्चतर बनाने हेतु हर सम्भव प्रयास किया जाएगा।

इस संस्था में राष्ट्रीय सेवा योजना, यूथ रेडक्रास में सहभागी बनकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, भाषण, लेखन, वाद-विवाद, रंगोली आदि अकादमिक गतिविधियों खेलकूद द्वारा आप अपनी प्रतिभा को बढ़ाने का सतत प्रयास कर सकते हैं । महाविद्यालय के द्वारा आपको पुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, खेलकूद सामग्री, प्रायोगिक सुविधाएँ एवं अध्यापन की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। हमारी कामना है कि सभी छात्र अनुशासन, लगन एवं अध्ययन के साथ शैक्षणेत्तर गतिविधियों में अधिकाधिक हिस्सा लें।

यह महाविद्यालय पं॰सुंदर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर का अध्ययन केंद्र भी है, जिसमें दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से नवीन पाठ्यक्रमों में डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ छात्रों को कैरियर मार्गदर्शन के तहत लोक सेवा आयोग, इंजीनीयरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, बी एड एवं अन्य रोज़गारोन्मुखी परीक्षाओं की भी जानकारी दी जाती है। आगामी सत्र से अर्थशास्त्र एवं गणित में स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारम्भ करने की कार्यवाही पूर्णता की ओर है।

महाविद्यालय में अनुसूचित जाति, जनजाति के सभी छात्र-छात्राओं एवं समस्त बालिकाओं का शिक्षण शुल्क माफ़ है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक एवं निर्धन सामान्य वर्ग के छात्रों को शासन द्वारा स्वीकृत छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। स्वाध्यायी छात्रों हेतु प्रायोगिक सुविधा उपलब्ध है।

ग्रंथालय पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत है। महाविद्यालय में केंटीन सुविधा उपलब्ध है। जनभागीदारी समिति के सहयोग से स्मार्ट क्लास, कम्प्यूटर शिक्षा, प्रसाधन कक्ष, हेल्प डेस्क एवं अन्य छात्र हित की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।

महाविद्यालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों तथा छात्रों के अथक प्रयास से महाविद्यालय में नैक मूल्यांकन का कार्य पूर्ण हो चुका है। महाविद्यालय को CGPA (1.96) प्राप्त हो चुका है। नैक के द्वारा गुणात्मक सुधार के सुझावों पर महाविद्यालय प्रशासन निरंतर अमल करने हेतु कृत संकल्पित है।

महाविद्यालय द्वारा "Taru Foundation" के साथ कौशल उन्नयन एवं प्लेस्मेंट हेतु MoU किया जा चुका है। गत वर्ष,महाविद्यालय के 14 छात्रों का कैम्पस चयन हो चुका है।

हमारा विश्वास है कि हरे भरे वृक्षों से युक्त यह महाविद्यालय परिसर आपका सुंदर, सुदृढ़ एवं गौरवशाली भविष्य गढ़ने में सफल होगा।

(डॉ॰ मदनमोहन जोशी)
प्राचार्य

महाविद्यालय का परिचय

राज्य शासन के आदेश क्र० एफ 44/2/84/B/30-2, दिनांक 16.12.1985 के परिपालन में कटघोरा नगर में कटघोरा-कोरबा मार्ग पर 1985 को में इस सह-शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना की गयी। यह महाविद्यालय आदिवासी क्षेत्र में विकास की एक अहम कड़ी है। वर्तमान भवन में यह महाविद्यालय 1996 में स्थानांतरित हुआ। आदिवासी एवं पिछड़ा क्षेत्र के इस महाविद्यालय का पोषण क्षेत्र काफी विशाल है। महाविद्यालय का शिलान्यास 22 अगस्त 1992 को किया गया एवं लोकार्पण 19 नवम्बर 1996 को हुआ।

महाविद्यालय की स्थापना के समय यहाँ कला एवं वाणिज्य की स्नातक स्तर की कक्षाएँ प्रारम्भ की गयी थी। वर्ष 1989 से यहाँ स्नातक विज्ञान एवं समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर कक्षा प्रारम्भ करने की स्वीकृति शासन से प्राप्त हुई। अपने सीमित संसाधनों से नगर एवं नगर के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को अध्ययन की सुविधा प्रदान करते हुए आदिवासी क्षेत्र में उच्च शिक्षा के अधिकाधिक विकास हेतु महाविद्यालय संतत प्रयासरत है ।

सत्र 2010-11 में महाविद्यालय में जन भागीदारी समिति की अनुशंसा पर स्ववित्तिय मद से स्नातकोत्तर कक्षाओं का संचालन शासन के आदेश क्र० 1873/647/2010/38-1 दिनांक 20.05.2010 के अनुपालन में प्रारम्भ किया गया। इनमें कला संकाय में हिंदी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, वाणिज्य संकाय में एम० कॉम० एवं विज्ञान में रसायन शास्त्र एवं प्राणी शास्त्र में स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारम्भ की गयी।

यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की धारा 2(f) एवं 12(b) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में महाविद्यालय अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर से सम्बद्ध है । महाविद्यालय को गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर से 2(f) की संबद्धता 06.01.1992 को तथा 12(b) की संबद्धता UGC के पत्र क्र० F.B-13/84/CPR-1, दिनांक, 29 जुलाई 1992 में प्राप्त हुई। राज्य शासन द्वारा अंचल के लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार पं मुकुट धर पांडेय के नाम पर इस महाविद्यालय का नामकरण राज्य शासन के आदेश क्र०एफ 5-65/2007/38, दिनांक 13.06.2008 के द्वारा किया गया।

महाविद्यालय का AISHE के राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीयन क्रमांक C-22329 है। महाविद्यालय में पूर्व छात्रों का संगठन (Alumni) भी सक्रिय है और यह संगठन (पंजीयन क्रमांक 31839) सोसायटी ऐक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है।

पं सुंदर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ के पत्र क्र 998/प्रशा०/स्था०/ 2015, दिनांक 30.07.2015 के अंतर्गत इस महाविद्यालय में विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र भी संचालित है।

वर्तमान में 1700 से अधिक छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने वाला यह महाविद्यालय कोरबा ज़िले का महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र बन चुका है।

नवीनतम जानकारी हेतु महाविद्यालय की वेब साइट

www.gomdp.ac.in

का अवलोकन करें

प्राचार्य सूची

क्र॰	नाम	नियमित/ प्रभारी	कब से	कब तक
संस्थापक प्राचार्य डॉक्टर बी॰ पी॰ अम्बष्ठ				
1	प्रो॰यशवंत केलकर	नियमित	15.5.86	15.6.87
2	श्री ओ॰ पी॰ श्रीवास्तव	प्रभारी	16.6.87	16.11.87
3	प्रो॰ डी॰ एन॰ तिवारी	नियमित	17.11.87	26.7.88
4	श्री ओ॰ पी॰ श्रीवास्तव	प्रभारी	27.7.88	26.8.88
5	प्रो॰वीर सिंह पटेल	नियमित	27.8.88	26.10.88
6	श्री ओ॰ पी॰ श्रीवास्तव	प्रभारी	27.10.88	25.2.89
7	डॉ॰ एस॰पी॰भिसे	नियमित	26.2.89	3.7.90
8	श्री ओ॰ पी॰ श्रीवास्तव	प्रभारी	4.7.90	3.2.92
9	डॉ॰ के॰के॰तिवारी	नियमित	4.2.92	11.7.96
10	ओ॰ पी॰ श्रीवास्तव	प्रभारी	12.7.96	8.12.96
11	डॉ॰ एल॰के॰ठेठवार	नियमित	9.12.96	7.10.98
12	डॉ॰ओमनारायण चौरसिया	नियमित (अति.प्रभार)	24.10.98	1.5.99
13	श्री आइ॰पी॰देवांगन	प्रभारी	2.5.99	14.11.99
14	श्री आशुतोष लाल	प्रभारी	15.11.99	23.5.06
15	श्री आइ॰पी॰देवांगन	प्रभारी	24.5.06	23.2.07
16	श्रीमती रंजना नाथ	प्रभारी	24.2.07	31.5.09
17	डॉ॰ संध्या तिवारी	नियमित	1.6.09	6.8.12
18	श्री आइ॰पी॰देवांगन	प्रभारी	7.8.12	28.10.13
19	डॉ॰ एस॰के॰ यादव	प्रभारी	28.10.13	29.6.14
20	डॉ॰ सतीश कुमार अग्रवाल	नियमित	30.6.14	08.4.22
21	डॉ॰मदनमोहन जोशी	प्रभारी	09.4.22	Till Date

आपके महाविद्यालय का फ़ेसबुक पेज है –

facebook.com/gomdp

-:प्रतिभावान छात्रों की सूची :-

क्र०	नाम	वि०वि० मेरिट में स्थान	वर्ष	रोल नम्बर	विषय
1	कु जी शांति	I	2016	48504102	M Sc-Chemistry
2	कु तनुजा देशमुख	VI	2016	34504175	M A-Hindi
3	कु प्राची अग्रवाल	VII	2016	67504151	M Com
4	कु पूनम जायसवाल	V	2016	28504057	M A-Hindi
5	कु शांति वर्मा	IV	2017	031750410157	B A
6	कु नाज़मीन खान	III	2017	671750410008	M Com
7	कु नीलम अग्रवाल	V	2018	295560	M Com
8	रेणु पाठक	III	2021	383715	M A-Sociology

-:छात्र संघ पदाधिकारियों की सूची :-

वर्ष	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सचिव	सह-सचिव
2014-15	कु प्रिया गर्ग	अशोक कुमार रजक	आकाशदीप मनकर	कु अंकिता साहू
2015-16	आदर्श शर्मा	कु प्रिया देवांगन	ज़िया उल हक़	अमेंदर ठाकुर
2016-17	आशीष उपाध्याय	राजकुमार यादव	कु प्रिया देवांगन	दीनू कुमार
2017-18	कु आरती	कु हेमलता	सूरज कुमारी	प्रियंका श्रीवास
2018-19	कु तिलकेश्वरी	ललिता कुमारी	विजय कुमार	पद्मावती कुमारी
2019-20	इंद्रपाल सूर्यवंशी	रेणु पाठक	अंजलि नेहा साहू	मंजू कश्यप
2020-21	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2021-22	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2022-23	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2023-24	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2024-25	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

“स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषय समूह एवं संकाय”

महाविद्यालय में शासकीय मद से संचालित कोर्स –

क्र	कक्षा	विषय	सीट
01	स्नातक कला बी ए सेमेस्टर I, II, III, IV बी ए तृतीय वर्ष (वार्षिक)	समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, हिंदी साहित्य, अंग्रेज़ी साहित्य, राजनीति शास्त्र, इतिहास तथा SEC, AEC , VAC,GE	240
02	स्नातक वाणिज्य बी कॉम सेमेस्टर I, II, III, IV बी कॉम तृतीय वर्ष (वार्षिक)	सभी अनिवार्य विषय तथा SEC, AEC, VAC, GE	120
03	स्नातक विज्ञान बी एस सी (गणित) सेमेस्टर I,II,III,IV बी एस सी (बायो) सेमेस्टर I,II,III,IV बी एस सी (गणित एवं बायो) तृतीय वर्ष (वार्षिक)	भौतिकी, रसायन, गणित प्राणी, रसायन, वनस्पत्ति तथा SEC, AEC, VAC, GE	60 160
04	स्नातकोत्तर समाजशास्त्र	सभी अनिवार्य विषय	40

जनभागीदारी मद से स्ववित्तिय योजना के अंतर्गत संचालित स्नातकोत्तर कक्षाएँ - (सेमेस्टर प्रणाली)

01	स्नातकोत्तर	राजनीति शास्त्र	30
02	स्नातकोत्तर	इतिहास	30
03	स्नातकोत्तर	हिंदी साहित्य	30
04	स्नातकोत्तर	वाणिज्य	40
05	स्नातकोत्तर	रसायन शास्त्र	20
06	स्नातकोत्तर	प्राणी शास्त्र	20

1) एम एस सी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु सैद्धांतिक विषय में न्यूनतम अर्हता अनिवार्य होगी।

2) बी ए, बी एस सी, बी कॉम प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर हेतु NEP- 2020 लागू

-: विषय समूह चयन :-

(अ) स्नातक कला- बी ए / बी कॉम / बी एस सी भाग एक :-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के अंतर्गत सत्र 2024-25 से CBCS आधारित पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है। चार वर्षीय इस पाठ्यक्रम का प्रारम्भ इसी सत्र से होना निश्चित हुआ है। चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के अंतर्गत Multiple Entry एवं Multiple Exit का प्रावधान होगा , जिसके अंतर्गत कतिपय कारणों से प्रथम वर्ष अथवा द्वितीय वर्ष पूर्ण कर पाठ्यक्रम को छोड़ने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः Certificate / Diploma दिया जा सकेगा बशर्ते उन्हें अतिरिक्त चार क्रेडिट के रोज़गार उन्मुखी पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा समूह चयन निम्न विधि से होना है -

CCFUP: MULTIDISCIPLINARY COURSE OF STUDY	
CHOICE BASED CREDIT SYSTEM (CBCS) UNDER NEP-2020	
Course name (as per UGC)	Course code
1.Discipline Specific Course (Major / Core)	DSC
2. Discipline Elective course (Minor / Interdisciplinary)	DSE
3. Generic Elective / Multidisciplinary	GE
4. Ability Enhancement Course	AEC
5. Skill Enhancement Course	SEC
6. Value Addition course	VAC
7. Internship /Apprenticeship	XXX
8. Research Methodology / Project & Dissertation	XXX

CCFUP FOR MULTIDISCIPLINARY PROGRAM (CG)

Sem.	DSC(4C) A/B/C	DSE	GE(4C)	AEC(2C)	SEC / VAC(2C)	Credits
I	DSC A 1-(4C) DSC B 1-(4C) DSC C 1-(4C)	xx	GE-01 (4C) From the Pool	AEC-01 (2C) From the Pool	VAC-01 (2C) From the Pool	20 Credits
II	DSC A 2-(4C) DSC B 2-(4C) DSC C 2-(4C)	xx	GE-02(4C) From the Pool	AEC-02 (2C) From the Pool	SEC-01 (2C) From the Pool	20 Credits
Students on exit -- awarded undergraduate certificate -- securing requisite 44 credits *[Extra 4 credits of Voc/skill course have to be earned from any ODL platform]*						40 C
III	DSC A 3-(4C) DSC B 3-(4C) DSC C 3-(4C)	DSE-01 of A/B/C (4C) Or GE-03 (4C) from the pool		AEC-03 (2C) From the Pool	VAC-02 (2C) From the Pool	20 Credits
IV	DSC A 4-(4C) DSC B 4-(4C) DSC C 4-(4C)	DSE-02 of A/B/C(4C) Or GE-04(4C) from the pool		AEC-04 (2C) From the Pool	SEC-02 (2C) From the Pool	20 Credits
Students on exit -- awarded undergraduate Diploma --- securing the requisite 88 credits *[Extra 8 credits of Voc/skill course have to be earned from any ODL platform]*						80 C
V	DSC A 5 -(4C) DSC B 5 -(4C) DSC C 5 -(4C)	DSE-03 of A/B/C (4C) Or GE-05 (4c) from the pool		VAC-03(2c) From the Pool	SEC-03 (2C) From the Pool	20 Credits
VI	DSC A 6 -(4C) DSC B 6 -(4C) DSC C 6 -(4C)	DSE-04 of A/B/C (4C) Or GE-06 (4C) from the pool		Internship (2C)	SEC-04 (3C) From the Pool	21 Credits
On exit - awarded Bachelor degree of (in Field of Multidisciplinary study) after sem. VI						121 C
For Award of Bachelor degree with Honors (Students not securing 7.5 CGPA)						
VII	DSC A/B/C(4C)	Four DSE-05 to 08(4x4)courses ***OR*** Two DSE-(2x4) & two GE(4) course ***OR*** One DSE and three GE(4) courses ***OR*** All four GE-07, 08, 09 & 10 (=16c)				20 Credits
VIII	DSC A/B/C(4C)	Four DSE-09 to 12(4x4)courses ***OR*** Two DSE-(2x4) & two GE(4) course ***OR*** One DSE and three GE(4) courses ***OR*** All four GE- 11, 12,13 & 14 (=16c)				20 Credits
For Award of Bachelor degree with Honors & Research (Students securing 7.5 CGPA)						
VII	DSC A/B/C(4C)	Three DSE-05 to 07(3x4) ***OR*** Two DSE-(2x4) & one GE(4) ***OR*** One DSE & two GE(4) ***OR*** All three GE 07, 08 & 09 (=12c)			DS Research Methodology(4c)	20 Credits
VIII	DSC A/B/C(4C)	Three DSE-08 to 10(3x4) ***OR*** Two DSE-(2x4) & one GE(4) ***OR*** One DSE & two GE(4) ***OR*** All three GE -10,11& 12 (=12c)			Research work Dissertation(4+4c)	24 Credits
Awarded Bachelor of (in the Field of Multidisciplinary study) [Honors (161c) or Honors with Academic Research (165c)] after securing the requisite credits on completion of Sem. VIII						Total Cr. 161/165

CCFUP FOR -- B. COM, B. H. SC., BCA, BBA

Sem.	DSC(4C) A/B/C	DSE	GE(4C)	AEC(2C)	SEC / VAC(2C)	Credits
I	DSC A 1-(4C) DSC A 2-(4C) DSC A 3-(4C)	xx	GE-01 (4C) From the Pool	AEC-01 (2C) From the Pool	VAC-01 (2C) From the Pool	20 Credits
II	DSC A 4-(4C) DSC A 5-(4C) DSC A 6-(4C)	xx	GE-02(4C) From the Pool	AEC-02 (2C) From the Pool	SEC-01 (2C) From the Pool	20 Credits
Students on exit -- awarded undergraduate certificate -- securing requisite 44 credits *[Extra 4 credits of Voc/skill course have to be earned from any ODL platform]*						40 C
III	DSC A 7-(4C) DSC A 8-(4C) DSC A 9-(4C)	DSE-01 of A/B/C (4C) Or GE-03 (4C) from the pool		AEC-03 (2C) From the Pool	VAC-02 (2C) From the Pool	20 Credits
IV	DSC A 10-(4C) DSC A 11-(4C) DSC A 12-(4C)	DSE-02 of A/B/C(4C) Or GE-04(4C) from the pool		AEC-04 (2C) From the Pool	SEC-02 (2C) From the Pool	20 Credits
Students on exit -- awarded undergraduate Diploma --- securing the requisite 88 credits *[Extra 8 credits of Voc/skill course have to be earned from any ODL platform]*						80 C

Sem.	DSC	DSE / GE	VAC / Internship	SEC	Credits
V	DSC A 13 -(4C) DSC A14 -(4C) DSC A 15 -(4C)	DSE-03 of A/B/C (4C) Or GE-05 (4c) from the pool	VAC-03(2c) From the Pool	SEC-03 (2C) From the Pool	20 Credits
VI	DSC A 16 -(4C) DSC A 17-(4C) DSC A 18 -(4C)	DSE-04 of A/B/C (4C) Or GE-06 (4C) from the pool	Internship (2C)	SEC-04 (3C) From the Pool	21 Credits
On exit - awarded Bachelor degree of (in Field of Multidisciplinary study) after sem. VI					121 C

For Award of Bachelor degree with Honors (Students not securing 7.5 CGPA)

Sem.	DSC	Courses	Credits
VII	DSC A 19 (4C)	Four DSE-05 to 08(4x4)courses ***OR*** Two DSE-(2x4) & two GE(4) course ***OR*** One DSE and three GE(4) courses ***OR*** All four GE-07, 08, 09 & 10 (=16c)	20 Credits
VIII	DSC A 20 (4C)	Four DSE-09 to 12(4x4)courses ***OR*** Two DSE-(2x4) & two GE(4) course ***OR*** One DSE and three GE(4) courses ***OR*** All four GE- 11, 12,13 & 14 (=16c)	20 Credits

For Award of Bachelor degree with Honors & Research (Students securing 7.5 CGPA)

Sem.	DSC	Courses	Research	Credits
VII	DSC A 19 (4C)	Three DSE-05 to 07(3x4) ***OR*** Two DSE-(2x4) & one GE(4) ***OR*** One DSE & two GE(4) ***OR*** All three GE 07, 08 & 09 (=12c)	DS Research Methodology(4c)	20 Credits
VIII	DSC A 20 (4C)	Three DSE-08 to 10(3x4) ***OR*** Two DSE-(2x4) & one GE(4) ***OR*** One DSE & two GE(4) ***OR*** All three GE -10,11& 12 (=12c)	Research work Dissertation(4+4c)	24 Credits
Awarded Bachelor of (in the Field of Multidisciplinary study) [Honors (161c) or Honors with Academic Research (165c)] after securing the requisite credits on completion of Sem. VIII				Total Cr. 161/165

(ब) स्नातक कला- बी ए तीन :-

अनिवार्य विषय – आधार पाठ्यक्रम हिंदी, आधार पाठ्यक्रम अंग्रेज़ी

वैकल्पिक विषय – भाग तीन के लिए प्रथम वर्ष में लिए गए वैकल्पिक विषय ही छात्र को लेना होगा ।

पाठ्यक्रम के मध्य में विषय परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

महाविद्यालय की भावी योजनाएँ

- आधारभूत सुविधाओं में सतत वृद्धि
- प्लेसमेंट के माध्यम से उद्देश्य पूर्ति
- शोध एवं अनुसंधान में वृद्धि
- रोज़गारोन्मुखी पाठ्यक्रमों का आरम्भ
- खेल सुविधाओं में वृद्धि
- गुणवत्ता युक्त शिक्षण प्रणाली पर बल
- शिक्षण में तकनीक का समावेश
- छात्रों को नैतिक शिक्षा का व्यावहारिक ज्ञान

"OUR MISSION & VISION"

Vision –

"Enlighten the needy to be better."

Mission–

"To uplift the socio-economic backward students of the region."

क्रॉस कटिंग मुद्दों को संबोधित करने वाले पाठ्यक्रमों की सूची

क्र०	क्रॉस कटिंग मुद्दे	पाठ्यक्रम जहां इनके समाधान हैं
1	लिंग भेद	• B.A. - Sociology, English, Political Science • M.A. - Sociology • M.Sc. - Zoology
2	पर्यावरण एवं स्थिरता	• B.A./B.Sc./B. Com - Environmental Studies • M.Sc. - Zoology, Botany
3	मानवीय मूल्य	•B.A.- Political science, Economics
4	उभरते जनसांख्यकीय परिवर्तन	• B.A. - Economics, Sociology • M.A. - Political Science, Commerce, History
5	व्यावसायिक नैतिकता	• B.A. - Economics, Commerce

विषयवार इन परिस्थितियों से निपटने वाले टॉपिक एवं विषय वस्तु

क्र०	क्रॉस कटिंग से सम्बंधित विषय	क्रॉस कटिंग मुद्दों से निपटने वाले विषय
1	Sociology	• Diversity and Unity in Indian Society • Social Change in India through Globalization • Nation Building and National integration. • Eradication of poverty • Terrorism • Communalism and communal violence • Displacement, Rehabilitation and Development.
2	History	• Nationalism • Non-Violence Movement • National Integration, Equality, Tolerance.
3	Hindi & English	• National Integration, Equality, Tolerance. • Child Psychology • Humanity
4	B Com	• Social Accounting
5	Chemistry	• Use of Chemical Substances for Sustainable Development
6	Commerce	• Ethics in Auditing Profession. • Ethical values in Entrepreneurship Development • Ethical Practices in Marketing
7	Sports	• Professional Ethics in Athletic Games.
8	Chemistry	• Use of Chemicals for Sustainable Development
9	Physics	• Scientific Attitude and Logical Thinking among Student.

महाविद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश सम्बन्धी नियम

प्रवेश सूची %-

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्त अंकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल में लगाई जाएगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किए जाने एवं स्थानांतरण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जावेगी । प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर " प्रवेश दिया गया" रद्द की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिए ।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाए।

ज्ञानमेव शक्तिः
स्थापना 1985
शास.म.प्र.पा.महाविद्यालय कटघोरा

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलंब शुल्क रु॰ 100 अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से बसूला जाएगा। तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में विद्यार्थी के द्वारा निकटतम पुलिस थाने में एफ आई आर दर्ज किया जाए। पुलिस थाने में रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाए।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/ अनुशासनहीनता/ तोड़फोड़ आदि में लिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बंद कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां के छात्र/ छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/ 2014/ 38-1 दिनांक 10 सितंबर 2014 अनुसार " राज्य शासन ऐतद द्वारा शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत स्नातक स्तर की छात्राओं को 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है" का पालन किया जाए।

प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :

क- छत्तीसगढ़ के मूल/ स्थाई, छत्तीसगढ़ में स्थाई संपत्ति धारी निवासी/ राज्य या केंद्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्ध शासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीय कृत बैंक तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है। उनके पुत्र/ पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। उपरोक्त अनुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार क्रम के आधार पर प्रवेश किया जा सकता है।

ख - सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

ग - आवश्यकतानुसार संबंधित विद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही आवेदकों को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर नियमित प्रवेश -

क - 10+ 2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किंतु वाणिज्य व कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बीएचएस सी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।

ख - स्नातक स्तर की प्रथम/ द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की क्रमश द्वितीय/ तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश-

क - बीकॉम/ बी एच एस सी/ बी ए स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमश: एम कॉम/ एमएचएससी/ एम ए पूर्व/ प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर बीएससी उत्तीर्ण आवेदकों को एमएससी/ एम ए पूर्व मैं नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ख - स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/ प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्ण अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ग - **स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु एटीके टी(Allowed to keep term) नियम-**

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में एटीकेटी नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

समकक्ष परीक्षा :-

6.1 सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इंडियन काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/ इंटरमीडिएट बोर्ड की 10 +2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10 +2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्ड की सूची विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

वाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

7.1 स्नातक स्तर तक बी ए / बीकॉम/ बीएससी/ बी एच एस सी में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय, स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम या द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है। किंतु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/ स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाई जा रहे विषयों/ विषय समूहों के आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, इसका परीक्षण करने के पश्चात ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यकता हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाए।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों/ स्वशासी महाविद्यालय से स्नातक स्तर की प्रथम या द्वितीय परीक्षा, अन्य विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालय से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम ,द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद उन्हीं विषयों/ विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जाए।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र देना होगा। किसी भी प्रकार की झूठी/ गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/ विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में **स्वाध्यायी आवेदकों को इस वर्ष केवल बी०एससी०(अंतिम) विषय** में 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य के द्वारा दी जा सकती है। **बी०एससी० प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में स्वाध्यायी प्रवेश बंद कर दिया गया है।**

प्रवेश हेतु अर्हतायें :-

9.1 किसी भी महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/ छात्राओं को उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जाएगा। उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा।

9.2 जिसके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/ अधिकारियों/ कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/ मारपीट करने के गंभीर आरोप हों। चेतावनी देने के बाद भी सुधार परिलक्षित ना हुआ हो, तो ऐसे छात्र/ छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/ रैगिंग के आरोपी छात्र/ छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश ना देने के लिए अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु कमेटी गठित कर जांच करवाएं एवं जांच की रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाए। ऐसे छात्र/ छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य की किसी भी शासकीय/ अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जाए।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/ अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/ छात्राओं को, किसी अन्य संकाय के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण:-

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदन होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुनानुक्रम से किया जाएगा,

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिकार देय है , अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय मैं प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार होगी।

10 .2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग-अलग गुनानुक्रम सूची तैयार की जावेगी.

प्रवेश हेतु प्राथमिकता:-

11.1 स्नातक/ स्नातकोत्तर/ विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

11.2 स्नातक/ स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/ उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/ एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/ स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाए, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 स्नातक स्तर के 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/ तहसीलों/ जिलों के निवासरत अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थियों को भी गुना अनुक्रम से प्रवेश किया जाए।

11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

आरक्षण- छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा:-

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा,

(क) **अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 32% सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।**

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 12% सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 14% सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी। परंतु जहां अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा। परंतु यह और कि पूर्व गामी परंतु क में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी जहां खंड(क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें अंतिम तिथि पर रिक्त रह जाती हैं तो इससे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिंदु क्रमांक 12.1 के खंड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों/ भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा हुआ बिंदु क्रमांक 12.1 के खंड(क) (ख) तथा(ग) के अधीन यथास्थिति ऊर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र पुत्रियों, पौत्र , पौत्रीयों और नाती/ नातिन के लिए 3% स्थान आरक्षित रहेंगे। निशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5% स्थान आरक्षित रहेंगे।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30% स्थान छात्राओं के लिए आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन कंपटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो उस आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेंगी, परंतु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जाएगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जाएगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 1/2 प्रतिशत एवं 1% के बीच आने पर आरक्षित खान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5% तक सीट वृद्धि कर प्रवेशदिया जाए तथा न्यूनतम अंत में 10% की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाए।

संकाय/ विषय/ ग्रुप परिवर्तन:-

स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/ विषय/ ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंको से 5% घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जाएगा। अधिभार घटे हुए प्राप्तांक पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/ विषय/ ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलंब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में लिखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जाएगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/ संकाय की मूल गुनानक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

विशेष:-

16.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाए गए प्रतिकूल तथ्यों, शासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किए जाने की स्थिति में संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/ मार्गदर्शन आयुक्त उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित ना किया जाए

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/ संशोधन/ निरसन / संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए आचार संहिता

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दंडात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा,

1. **विद्यार्थी महाविद्यालय द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड में ही महाविद्यालय में आएगा। केवल शनिवार को छात्रों को ड्रेस में आने से छूट रहेगी।**
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूरा ध्यान अध्ययन एवं महाविद्यालय की पाठ्येत्तर गतिविधियों में लगाएगा।
3. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है।
4. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित है।
5. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवानों को गंदा करना प्रतिबंधित है। किसी भी असामाजिक/ आपराधिक गतिविधि में लिप्त पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
6. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।
7. सत्र के दौरान होने वाले इकाई परीक्षा , त्रैमासिक, अर्धवार्षिक इत्यादि परीक्षाओं में शामिल होना अनिवार्य है
8. परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग गंभीर दुराचरण माना जाएगा

-:विशेष:-

1. प्रत्येक विषय में 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। उपस्थिति कम होने पर वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में पुस्तकें ना लौटाने पर आर्थिक दंड लग सकता है।
3. किसी भी कक्ष में लगे पंखे, लाइट, फर्नीचर इत्यादि की तोड़फोड़ दंडात्मक आचरण माना जाएगा।
4. यदि कोई छात्र अनैतिक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश निरस्त किया जाएगा
5. सेमेस्टर के सभी छात्रों को असाइनमेंट एवं CIA अनिवार्य रूप से पूरन करना होगा।

6. महाविद्यालय में रहेगी रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है। छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2011 के अनुसार लिप्त छात्र को 5 साल तक कारावास की सजा या ₹5000 जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।

7. निर्धारित समय में शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है।

8. विद्यार्थी के द्वारा किसी भी रूप में गलत तथ्य प्रस्तुत करने या तथ्यों को छिपाने की स्थिति में उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा .

9. सभी आवेदन पत्रों में जहां पालक/ अभिभावक के हस्ताक्षर आवश्यक हो, वहां पर छात्र अनिवार्य रूप से अपने पालक/ अभिभावक का हस्ताक्षर कराएगा .

10. किसी भी छात्रा का किसी भी प्रकार से उत्पीड़न पूर्णतः प्रतिबंधित है। लिप्त छात्र पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी

"शुल्क विवरण"

शासकीय शुल्क :-

1	प्रवेश शुल्क	3=00
2	शिक्षण शुल्क स्नातक - स्नातकोत्तर -	 115=00 126=00
3	प्रायोगिक शुल्क (विज्ञान)	20=00
4	लेखन सामग्री	5=00

अशासकीय शुल्क :-

1	निर्धन छात्र कल्याण निधि	5=00
2	परिचय पत्र	35=00
	चिकित्सा शुल्क	3=00
6	शारीरिक कल्याण	100=00
7	अवधान राशि	60=00 (स्नातक प्रथम वर्ष + नव प्रवेशित) / 100=00(स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष)
8	रेडक्रॉस सोसायटी	40=00
9	वार्षिकोत्सव	25=00
10	सायकल स्टैंड	20=00
11	इकाई परीक्षा शुल्क	66=00

AF शुल्क :-

1	महाविद्यालय विकास शुल्क	125=00
2	सम्मिलित निधि	61=00

विश्वविद्यालय शुल्क :-

1	शारीरिक कल्याण शुल्क	63
2	छात्र कल्याण शुल्क	13
3	पुस्तकालय शुल्क	25
4	युवा गतिविधियाँ शुल्क	1.25
5	छात्र संघ शुल्क	1.25

जनभागीदारी शुल्क :-

जनभागीदारी शुल्क	**350=00**

स्ववित्तीय शुल्क :-

क्र	स्ववित्तीय विषय	समय अंतराल	वार्षिक शिक्षण शुल्क
1	एम०ए० हिंदी	द्वि वर्षीय (4 सेमेस्टर)	6000=00
2	एम०ए० राजनीति	द्वि वर्षीय (4 सेमेस्टर)	6000=00
3	एम०ए० इतिहास	द्वि वर्षीय (4 सेमेस्टर)	6000=00
4	एम०कॉम०	द्वि वर्षीय (4 सेमेस्टर)	7000=00
5	एम०एस०सी० रसायन शास्त्र	द्वि वर्षीय (4 सेमेस्टर)	10000=00
6	एम०एस०सी० प्राणी शास्त्र	द्वि वर्षीय (4 सेमेस्टर)	10000=00

टीप : उपरोक्त शुल्क में शासन के निर्देशानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। कक्षा वार प्रवेश शुल्क की घोषणा सूचना पटल पर प्रवेश के समय की जाती है।

विश्वविद्यालय परीक्षा (स्वाध्यायी)

1. महाविद्यालय में जिस कक्षा एवं विषय का नियमित अध्ययन हो रहा है, उन कक्षा एवं विषयों में स्वाध्यायी छात्र परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं

2. स्नातकोत्तर स्तर पर स्वाध्यायी छात्र के सम्मिलित होने के लिए कक्षा एवं विषय निम्नानुसार हैं-

a) एम ए पूर्व/ अंतिम समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, हिंदी, वाणिज्य।

3. विकलांग छात्रों को विश्वविद्यालययीन परीक्षा शुल्क से मुक्त रखा गया है। इस हेतु उन्हें शासन से जारी विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

4. विश्वविद्यालय के अध्यादेश के तहत कोई भी छात्र 1 सत्र में दो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकता है।

5. (a) महाविद्यालय में प्रथम अवसर नियमित प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्र/ छात्राओं को विश्वविद्यालय में नामांकन आवेदन पत्र नामांकन फार्म भर कर ऑनलाइन/ ऑफलाइन जमा करना होगा .

(b) छत्तीसगढ़ के बाहर के बोर्ड/ विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण कर आए छात्र को महाविद्यालय में नियमित प्रवेश प्राप्त करने तथा स्वाध्यायी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवजन प्रमाण पत्र एवं विश्वविद्यालय का पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

शुल्क मुक्ति , सहायता निधि, छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति

1. अनुसूचित जाति/ जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए महाविद्यालय में पूर्ण शुल्क मुक्ति की सुविधा उपलब्ध है। इस हेतु तहसीलदार या उससे उच्च किसी राजस्व अधिकारी द्वारा उस संवर्ग का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

2. छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत कार्यरत, सेवानिवृत्त अथवा मृत शासकीय कर्मचारियों के पुत्र पुत्रियों हेतु शुल्क मुक्ति - की सुविधा उपलब्ध है। यह सुविधा छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध है जिनके माता-पिता छत्तीसगढ़ शासन के चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी अथवा द्वितीय श्रेणी के ऐसे कर्मचारी हैं जिनका मूल वेतन 1450 रुपए (चौधरी वेतनमान) से अधिक नहीं है।

3. महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्राओं के लिए स्नातक स्तर पर पूर्ण शुल्क मुक्ति की सुविधा उपलब्ध है।

4. सगे भाई हेतु शुल्क में रियायत (ब्रदर कंसेशन)- यदि महाविद्यालय में 1 सत्र में सगा भाई अध्ययनरत है तो ऐसी स्थिति में कनिष्ठ भाई को शुल्क मुक्ति की सुविधा उपलब्ध है। कनिष्ठ भाई द्वारा इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा।

5. पूर्व सैनिकों के पुत्र/ पुत्रियों के लिए सामान्य शिक्षा के स्नातकोत्तर तक शैक्षणिक शुल्क जिसमें प्रायोगिक फ़ीस भी शामिल है की मुक्ति की सुविधा है।

6. गरीबी रेखा एवं निर्धन छात्र हेतु महाविद्यालय में छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है।

7. सामान्य वर्ग के अल्पसंख्यक छात्र/ छात्राओं हेतु भी छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है।

शुल्क मुक्ति के सभी प्रकरणों में छात्र को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा एवं आवश्यक अभिलेख संलग्न करने होंगे।

जनभागीदारी समिति

पिछले कुछ वर्षों से शासन स्तर पर या विचार किया गया कि उच्च शिक्षा अंतर्गत सेवाओं में केवल शासन ही एक कड़ी ना रहे , बल्कि जनता एवं छात्र-छात्राओं की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इस विचार के तारतम्य में शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति का गठन संबंधी अध्यादेश लाया गया। वर्तमान में महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति में शासन के द्वारा नवीन अध्यक्ष के रूप में श्री गंगा प्रसाद पटेल कार्यरत हैं।

यूथ रेड क्रॉस सॉसायटी

महाविद्यालय में सत्र 2003 से ही यूथ रेड क्रॉस सोसायटी स्थापित है। इसके माध्यम से महाविद्यालय में विभिन्न सामाजिक एवं स्वास्थ्य सम्बंधित कार्य किए जा रहे हैं। महाविद्यालय में किए जा रहे कार्य निम्नानुसार हैं,

a. रक्तदान एवं रक्त परीक्षण शिविर का आयोजन
b. महाविद्यालय में RO युक्त शुद्ध पेयजल की उपलब्धता
c. महाविद्यालय की स्वच्छता
d. छात्रों की वैयक्तिक स्वच्छता
e. आटोमेटिक सेनेटाईज़र डिस्पेन्सर
f. छात्राओं हेतु सैनिटेरी पैड्ज़ का वितरण
g. कक्षों में डस्ट-बिन की व्यवस्था

ग्रंथालय

ग्रंथालय शिक्षण का आवश्यक अंग है । यह महाविद्यालय ग्रंथालय पुस्तकों की संख्या के दृष्टिकोण से काफ़ी समृद्ध है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा प्राप्त अनुदान एवं जैन भागीदारी समिति के सतत सहयोग से इसके निरंतर विकास के प्रयास जारी हैं । वर्तमान में लगभग 25,000 पुस्तकों के साथ यह ग्रंथालय अध्ययन एवं अध्यापन की सुविधा प्रदान कर रहा है ।

ग्रंथालय को नवीन तकनीक से अपग्रेड किया जा चुका है। ग्रंथालय में N-List की सुविधा उपलब्ध है। ग्रंथालय पूर्णतः ऑटमेटेड है।

(अ) ग्रंथालय द्वारा बुक बैंक योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के छात्रों को शिक्षण सत्र में पठान हेतु पुस्तकों का सेट प्रदान किया जाता है, जिसे परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात जमा करना होता है ।

(ब) ग्रंथालय के माध्यम से SC/ST वर्ग के छात्रों को स्टेशनरी का निशुल्क वितरण किया जाता है ।

(स) छात्रों के अध्ययन हेतु ग्रंथालय में एक वाचनालय की सुविधा भी उपलब्ध है । यहाँ बैठकर छात्र अपने विषय से सम्बंधित पुस्तकें एवं ज्ञानवर्धक पत्रिकाएँ तथा समाचार पत्र भी पढ़ सकेंगे।

ग्रंथालय से पुस्तक प्राप्त करने हेतु कक्षावार दिन एवं समय निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है| महाविद्यालय के सभी नियमित छात्र तथा छात्राओं को निम्नानुसार कक्षावार दिन एवं समय के अनुसार ग्रंथालय में उपस्थित होकर पुस्तक प्राप्त करें|

बी. एससी. एवं बी. काम. हेतु पुस्तक प्रदाय के दिन

कक्षा	दिन	पुस्तक निर्गमन सप्ताह	समय
बी. एससी. प्रथम वर्ष	सोमवार	**माह का प्रथम एवं तृतीय सप्ताह**	11.30 **am**. से 1.30**pm**. तथा 2.00 **pm**. से 4.00 **pm**. तक पुस्तक निर्गमन तथा वापसी
बी. एससी. द्वितीय वर्ष	मंगलवार		
बी. एससी. तृतीय वर्ष	बुधवार		
बी. काम. प्रथम वर्ष	वृहस्पतिवर		
बी. काम. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	शुक्रवार		

बी. ए. एवं स्नातकोत्तर कक्षाएं हेतु पुस्तक प्रदाय के दिन

कक्षा	दिन		समय
बी. ए. प्रथम वर्ष	सोमवार	**माह का द्वितीय एवं चतुर्थ सप्ताह**	11.30 **am**.से 1.30**pm**. तथा 2.00 **pm**. से 4.00 **pm**. तक पुस्तक निर्गमन तथा वापसी
बी. ए. द्वितीय वर्ष	मंगलवार		
बी. ए. तृतीय वर्ष	बुद्धवार		
एम. एससी. (सभी विषय)	वृहस्पतिवर		
एम. ए. (सभी विषय)	शुक्रवार		

1. महाविद्यालय के नियमित छात्र तथा छात्राओं को एक साथ 02 पाठ्य-पुस्तक 30 दिनों के लिए निर्गमित की जायेगी।
2. प्रायोगिक विषय (जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान) के छात्र-छात्राओं को एक साथ 02 पाठ्य-पुस्तक तथा 01 प्रायोगिक पुस्तक 30 दिनों के लिए निर्गमित की जायेगी
3. निर्धारित समय सीमा पर पुस्तकें जमा नहीं करने पर रु. 1.00 प्रतिदिन के हिसाब से अर्थ दंड देना होगा। अर्थदंड सत्र के अंत में नो-ड्यूज के समय एक साथ लिया जायेगा।
4. सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को ग्रंथालय के साफ- सफाई सम्बन्धी कार्य किया जायेगा।
5. सप्ताह में किसी दिन अवकाश होने की स्थिति में उसी सप्ताह के शनिवार को पुस्तक निर्गमित की जाएगी

क्रीड़ा विभाग

महाविद्यालय अपने छात्र/छात्राओं के शारीरिक क्षमताओं के उन्नयन एवं विकास हेतु समय समय पर शासकीय केलेंडर के अनुसार महाविद्याल स्तर/ परिक्षेत्र स्तर एवं विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न क्रीड़ा गतिविधियों का आयोजन करता है । महाविद्यालय में क्रिकेट, कबड्डी, फ़ुटबॉल, बेडमिंटन, टेबल -टेनिस, व्हाली बॉल, खो खो, मलखम्भ, कराटे,शतरंज एवं एथेलटिक्स जैसे खेलों में प्रशिक्षण भी प्रदान करता है ।

महाविद्यालय के पास स्वयं का बेडमिंटन, बास्केट बॉल, कबड्डी एवं खो खो आदि खेलों का मैदान है। वार्षिकोत्सव के अवसर पर विभिन्न क्रीड़ा प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की जाति हैं। इस अवसर पर परिक्षेत्र एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभागियों को पारितोषिक एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

गत वर्ष इस महाविद्यालय में BA द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्र संजू देवी में भारतीय महिला कबड्डी टीम में अपनी जगह बनाई। उन्होंने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए ईरान में आयोजित एशियाई कबड्डी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC)

महाविद्यालय में NCC की इकाई का प्रारम्भ सत्र 2024-25 में हो चुका है। महाविद्यालय में NCC का संचालन 1 CG BN NCC, KORBA के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। श्री भुनेश्वर कुमार वर्तमान में CTO के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना

राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय युवा एवं खेल विभाग, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित योजना है । यह कार्यक्रम युवाओं में राष्ट्रीय सेवा की भावना विकसित करने हेतु अवसर प्रदान करने के लिए प्रारम्भ किया गया है ।इस योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय एकता शिविर, पर्वतारोहण शिविर, गणतंत्र

दिवस परेड आदि कार्यक्रमों में दूरस्थ अंचल के छात्रों को सहभागिता का अवसर प्राप्त होता है । राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय शिविर एवं ज़िला स्टर पर ज़िला स्तरीय शिविर प्रतिवर्ष लगाए जाते हैं ।

राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास है । यह कार्यक्रम महाविद्यालय के निकट स्थित नगर/ग्राम/ गोद ग्राम की एक दिवसीय शिविर के माध्यम से साफ़ सफ़ाई, सर्वेक्षण , उपयोगी परिचर्चा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा छात्रों के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास हेतु मंच प्रदान करता है । आपदा एवं अन्य सामुदायिक सेवा हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रतिभागियों को सदैव तैयार रखा जाता है ।

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की एक पुरुष इकाई एवं एक महिला इकाई कार्यरत है । इसमें 150 सीट आबँटित की गयी है । इसमें छात्रों को सर्वप्रथम महाविद्यालय में प्रवेश के उपरांत अपना पंजीयन कारण अनिवार्य होता है । महाविद्यालय स्तर पर प्रतिभागियों को विश्विद्यालय द्वारा सफलता पूर्वक कार्य करने के उपरांत "बी" एवं "सी" प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है । "बी" प्रमाण पत्र हेतु छात्र को नियमित गतिविधियों के अंतर्गत 2 वर्ष में 240 घंटे की अवधि एवं कम से कम एक विशेष शिविर में भाग लेना अनिवार्य है ।

छात्रों हेतु आवश्यक निर्देश

1) प्रवेश विवरणिका का अध्ययन करें एवं नियमानुसार कार्यवाही करें।
2) प्रवेश उपरांत परिचय पत्र/ ग्रंथालय पत्रक बनवाएँ। बिना प्रवेश पत्र के परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
3) नवीन छात्र समय सीमा में अविलम्ब विश्वविद्यालय में ऑनलाइन नामांकन की कार्यवाही करें।
4) सहायता निधि/ शुल्क मुक्ति/ छात्रवृत्ति हेतु प्रवेश के तत्काल उपरांत सम्बंधित प्रभारी/ सहायक से सम्पर्क स्थापित करें।
5) महाविद्यालयीं गतिविधियों की नवीनतम जानकारी हेतु प्रतिदिन मुख्य सूचना पटल के साथ साथ ग्रंथालय/क्रीड़ा/ NSS के सूचना पटल भी देखें।
6) महाविद्यालय में 75% उपस्थिति अनिवार्य है।इसके अभाव में परीक्षा में शामिल होने से छात्रों को रोका जा सकता है।
7) महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाए रखना प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य है।
8) किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत होने पर सम्बंधित प्राध्यापक/ समिति के संयोजक से मिलें। प्राचार्य कक्ष के बाहर रखी शिकायत पुस्तिका में भी आप शिकायत या सुझाव दे सकते हैं।
9) महाविद्यालय के नवीनतम क्रिया कलापों हेतु आप महाविद्यालय की वेबसाइट www.gomdp.ac.in या महाविद्यालय का फ़ेसबुक पेज www.facebook.com/gomdp का निरंतर अवलोकन करते रहें।

अकादमिक केलेंडर

महाविद्यालय में अध्यापन कार्य राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालय द्वार प्रदत्त अकादमिक केलेंडर के आधार पर हाई किए जाएँगे। इस सत्र हेतु शासन एवं विश्वविद्यालय से अकादमिक केलेंडर प्राप्त हो चुका है जो कि महाविद्यालय की वेबसाइट www.gomdp.ac.in में उपलब्ध है।

<u>अनु॰ जाति/ अनु॰ जन जाति/ OBC छात्रवृत्ति के नियम</u>

1. जो छात्र किसी भी संकाय में प्रथम बार छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करेंगे वे नवीन कहलाएँगे ।
2. केवल नवीन विद्यार्थी ही इस वर्ष नया पंजीयन करेंगे।
3. नए पंजीयन के लिए नवीन विद्यार्थी से लिए जाने वाले दस्तावेज – जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जीवित बैंक पास बुक, दसवीं, बारहवीं एवं पिछली उत्तीर्ण परीक्षा की अंक सूची, अगर गैप हो तो गैप प्रमाणपत्र, एक फ़ोटो।
4. जाति प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ के किसी भी ज़िले का हो सकता है। **<u>किसी भी अन्य राज्य का बना हुआ जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।</u>**
5. जिस भी छात्र को 2024-25 में छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी है, वही विद्यार्थी नवीनीकरण हेतु पात्र होगा। गत वर्ष के **ID** और **Password** से ही नवीनीकरण किया जाएगा।
6. नवीनीकरण हेतु छात्र को पिछले उत्तीर्ण परीक्षा की अंक सूची तथा बैंक पास बुक का प्रथम एवं अंतिम पेज की छाया प्रति देना अनिवार्य होगा।
7. **पूरक या अनुत्तीर्ण छात्र को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।**
8. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम आय रू॰ 2.50 लाख (रु दो लाख पचास हज़ार) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम रू॰ 1.00 लाख (रू एक लाख)

-:प्लेसमेंट सेल एवं कार्य:-

महाविद्यालय में शिक्षण प्राप्ति उपरांत छात्र क्या करें, यह किसी भी संस्था हेतु अहम प्रश्न होता है। संस्था का यह कर्तव्य भी होता है कि प्रथम वर्ष से ही छात्रों को परम्परागत अध्यापन के अतिरिक्त भी जीवन के क्षेत्र में कार्य करने हेतु तैयार करे। यह कार्य उन संस्थाओं के लिए और भी कठिन हो जाता है जहाँ स्नातक के परम्परागत पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हों। समय की माँग के अनुरूप छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें नौकरी एवं अन्य उद्यम हेतु तैयार करना ही प्लेसमेंट सेल का मुख्य कार्य है।

इसी विचार के साथ महाविद्यालय के प्लेसमेंट सेल ने "तरु फ़ाउंडेशन" के साथ **MoU** किया है। इस **MoU** के अंतर्गत महाविद्यालय के छात्रों को कौशल उन्नयन, साक्षात्कार एवं सकारात्मक व्यक्तित्व निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सितम्बर **2022** में जिला प्रशासन के सहयोग से महाविद्यालय में 'रोज़गार मेले' का भी आयोजन किया गया था। इसके परिणामों के माध्यम से महाविद्यालय द्वारा प्रशिक्षण पद्धति में आंशिक परिवर्तन किया गया।

अप्रेल **2024** तक महाविद्यालय के **44**छात्रों का कैम्पस सेलेक्शन हो चुका है। सत्र **2024-25** से इस प्रशिक्षण को और अधिक योजनाबद्ध तरीक़े से क्रियान्वित करने की योजना है। यह योजना तरु फ़ाउंडेशन एवं महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

इस कार्य हेतु एक "केप्सूल कोर्स" का पाठ्यक्रम इस सत्र से चलाया जाएगा। इस केप्सूल कोर्स में कम्यूनिकेशन स्किल, सॉफ़्ट स्किल एवं व्यक्तिगत विकास के कोर्स शामिल किए गए हैं। यह कोर्स **3-6** माह की अवधि का होगा। प्रशिक्षण को सफलता पूर्वक पूर्ण करने के उपरांत **NSDC** प्रमाण पत्र के आधार पर इन छात्रों के प्लेसमेंट की प्रक्रिया महाविद्यालय प्रशासन एवं तरु फ़ाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी।

यह प्रशिक्षण शुल्क के साथ उपलब्ध होगा। योग्य किंतु अति निर्धन छात्रों को महाविद्यालय के द्वारा आंशिक आर्थिक सहयोग भी प्रस्तावित है।

महाविद्यालय का शैक्षणिक परिवार

क्र	नाम	पदनाम	विषय
1	डॉ मदन मोहन जोशी	प्राचार्य	अर्थशास्त्र
2	-	सहायक प्राध्यापक	समाज शास्त्र
3	-	सहायक प्राध्यापक	भौतिक शास्त्र
4	डॉ मदन मोहन जोशी	सहायक प्राध्यापक	अर्थशास्त्र
5	डॉ पूनम ओझा	सहायक प्राध्यापक	इतिहास
6	डॉ शिवदयाल पटेल	सहायक प्राध्यापक	हिंदी
7	डॉ प्रिन्स कुमार मिश्रा	सहायक प्राध्यापक	वाणिज्य
8	श्री तिलक राम आदित्य	सहायक प्राध्यापक	राजनीति शास्त्र
9	डॉ धरम दास टंडन	सहायक प्राध्यापक	वाणिज्य
10	श्री यशवंत कुमार जायसवाल	सहायक प्राध्यापक	गणित
11	श्री भुनेश्वर कुमार	सहायक प्राध्यापक	अंग्रेज़ी
12	श्री शैलेंद्र कुमार ओट्टी	सहायक प्राध्यापक	रसायन शास्त्र
13	श्री नूतन पाल कुर्रे	सहायक प्राध्यापक	जंतु शास्त्र
14	प्रतिमा कँवर	सहायक प्राध्यापक	वनस्पति शास्त्र
15	श्रीमती राजकुमारी सिदार	क्रीड़ाधिकारी	
16	श्री प्रेम नारायण वर्मा	ग्रंथपाल	

महाविद्यालय का ग़ैर-शैक्षणिक परिवार

क्र	नाम	पदनाम
1	श्री दीपक रजक	छात्रावास अधीक्षक
2	- रिक्त -	सहायक ग्रेड I
3	डॉ कल्पना शांडिल्य	सहायक ग्रेड II
4	श्री बालाराम साहू	सहायक ग्रेड III
5	- रिक्त -	सहायक ग्रेड III
6	श्री कीर्ति कुमार मरकाम	डेटा एंट्री ऑपरेटर
7	--	लैब तकनीशियन
8	श्री मनहरन श्याम	लैब तकनीशियन
9	श्री पी के बेले	लैब तकनीशियन
10	श्री के के दीवान	लैब तकनीशियन
11	-	लैब सहायक
12	-	लैब सहायक
13	श्री विकास जायसवाल	लैब सहायक
14	-	लैब सहायक
15	श्रीमती सविता नेताम	भृत्य
16	श्रीमती कंचन देवी कोर्राम	बुक लिफ़्टर
17	श्रीमती लक्ष्मिन बाई	भृत्य
18	-	स्वीपर
19	-	चौकीदार

शासकीय मुकुटधर पांडेय महाविद्यालय, कटघोरा

जिला – कोरबा (छत्तीसगढ़)

प्रवेश आवेदन पत्र (2025-26)

वर्ग – अनु॰जाति / अ॰ज॰जा॰ /अ॰पि॰वर्ग /सामान्य

BPL – हाँ / नहीं (अगर ग़रीबी रेखा से नीचे हैं तो छात्रवृत्ति हेतु निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करें)

1- आय प्रमाण पत्र मूल प्रति
2- BPL प्रमाणपत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति
3- ग्राम पंचायत अथवा नगर पालिका द्वारा सत्यापित BPL प्रमाणपत्र
4- जाति प्रमाण पत्र + मूल निवास प्रमाण पत्र
5- सामान्य वर्ग के छात्र EWS प्रमाणपत्र जमा करें

दिव्यांग – हाँ / नहीं (अगर दिव्यांग हैं तो जिला मेडिकल बोर्ड का दिव्यांगता प्रमाणपत्र संलग्न करें)

अल्पसंख्यक – हाँ/ नहीं (किस अल्पसंख्यक वर्ग से – नाम -------------------------)

कक्षा का नाम : ……………………………………..

संकाय – कला / वाणिज्य / विज्ञान

विषय : 1…………………………….2……………………….3……………………

(1) छात्र का नाम (हिंदी में): ……………………………………………………………

(अंग्रेज़ी में): ……………………………………………………………

(2) पिता / पति का नाम : श्री ……………………………………………………………

(3) माता का नाम : श्रीमती ………………………………………………………

(4) लिंग - पुरुष / महिला / तृतीय लिंग

(5) जन्म तिथि (अंकों में): - - / - - / - - - -

(शब्दों में): ……………………………………………………………

(6) छात्र का मोबाइल नम्बर - -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

(7) छात्र की ई-मेल आई डी -

(8) छात्र का पूर्ण पता :……………………………………………………………

……………………………………………………………

नोट : कोई भी प्रविष्टि ख़ाली न रखें।

9) विगत परीक्षा का विवण (सभी उत्तीर्ण परीक्षा की सत्यप्रतिलिपि जमा करें।)

परीक्षा का नाम	वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत	विषय/समूह	बोर्ड/वि.वि. का नाम
हाई स्कूल (10वीं)						
हा. सेकण्ड्री (12वीं)						
स्नातक भाग-1						
स्नातक भाग-2						
स्नातक भाग-3						
स्नातकोत्तर (पूर्व)						

10) अंतिम परीक्षा का नाम .... विश्वविद्यालय का नाम ....

नामांकन क्र ....

11) गत वर्षो में आवेदक का अध्ययन क्रम यदि जारी नहीं रहा तो कारण एवं अवधि का स्पष्ट उल्लेख करें।

....

12) क्या आवेदक सेवारत् है ? यदि हां तो नियोक्ता का अनुमति प्रमाणक संलग्न अनुमति संलग्न करें।

13) शैक्षणिकेत्तर गतिविधियों खेलकुद/एन.एस.एस./एन.सी.सी. उल्लेखनीय उपलब्धियॉं हो तो अधिभार हेतु पूर्ण विवरण

....

14) आवेदक के विरूद्ध पुलिस/न्यायिक प्रकरण लंबित हो तो जानकारी ....

15) संलग्न प्रमाण पत्रों की सूत्री (चेक लिस्ट के अनुसार) ....

आवेदक द्वारा शपथ–पत्र

मैंने महाविद्यालय के नियमों, व्यवस्थाओं व आचरणसंहिता का अध्ययन कर लिया है तथा प्रतिज्ञा करता/करतती हूॅं कि मैं अध्ययनरत् रहकर अपने कर्तव्यों तथा महाविद्यालय के नियमों एवं व्यवस्थाओं का पालन करता रहूॅंगा/करती रहूॅंगी तथा महाविद्यालयनी अथवा बाहर क परीक्षाओं में किसी भी अनुशासनहीनता एवं हिंसात्मक कार्यवाही में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग नहीं लूंगा/लूंगी। मैं हर मामले में महाविद्यालय के निर्णयों का पालन करूंगा/करूंगी। मैं घोषणा करता हूॅं/करती हूॅं कि मैनें किसी भी तथ्य के छिपाया नहीं है और न ही असत्य जानकारी दी है। उपरोक्त प्रतिज्ञा के उल्लघंन करने की स्थिति में प्राचार्य को पूर्ण अधिकार होगा कि वे मुझे दंडित कर सकते है व निष्कासित भी कर सकते है। जिसकी पूर्व सूचना मुझे या मेरे पालक को देना आवश्यक नहीं है। मैं किसी भी छात्र/छात्रा का रैगिंग नहीं लूंगा/लूंगी अन्यथा दण्ड का भागीदार रहूॅंगा/रहूॅंगी।

दिनांक..........................   आवेदक के हस्ताक्षर

पिता / अभिभावक का घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूॅं कि मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य द्वारा इस आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी सत्य है। महाविद्यालय में उसके अध्ययनकाल में उसके आचरण, कार्यो, उपस्थिति तथा दैनन्दिनी प्रगति और व्यवहार के संबंध में विशेष ध्यान दूंगा तथा उसके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहते हुए महाविद्यालय को पूर्ण सहयोग देता रहूॅंगा और महाविद्यालय को देय समस्त शुल्क की राशि के भुगतान उत्तरदायित्व का वहन करूंगा। यदि मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य के विरूद्ध रेगिंग की शिकायत प्राप्त हुई तो उसे महाविद्यालय से निष्कासित किया जाए। इसमें मेरे पूर्ण सहमति होगी।

दिनांक..........................   पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

मो.नं. ....

केवल कार्यालयीन प्रयोग हेतू

आवेदन पत्र की जॉच की गई आवश्यक दस्तावेज के साथ पूर्ण पाया गया

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

प्रवेश समिति के संयोजक/अध्यापक की अनुशंसा/टिप्पणी

श्री/कु./श्रीमती .... की कक्षा .... के विषय/विषयों

1 .... 2 .... 3 .... 4 ....

में प्रवेश की अनुशंसा की जाती है

1. विषय परिवर्तन ....
2. आवेदन पत्र की निम्नलिखित आपूर्तियां की जाये ....

आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत कर दिया जाये-

संयोजक प्रवेश समिति

प्राचार्य आदेश

1. आवेदक को कक्षा .... में अस्थायी प्रवेश दिया जाता है।
2. आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

दिनांक......................

प्राचार्य

प्रवेश शुल्क का विवरण

प्रवेश क्रमांक

दिनांक

1) शासकीय शुल्क रू .... र.क्र. .... दिनांक ....

2) अशासकीय शुल्क रू .... र.क्र. .... दिनांक ....

3) जनभागीदारी शुल्क रू .... र.क्र. .... दिनांक ....

4) रेडक्रास सोसाइटी शुल्क रू.................................... र.क्र. .... दिनांक ....

हस्ता. शुल्क लिपिक

राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)

प्रवेश आवेदन पत्र (पंजीयन)

2025-26

1. संस्था का नाम : शासकीय मुकुटधर पांडेय महाविद्यालय, कटघोरा, कोरबा (छ ग)
2. सम्बद्ध विश्वविद्यालय : अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर
3. आवेदक का नाम : श्री/कु०...
4. पिता का नाम : श्री ....
5. जन्म तिथि : ....
6. मोबाइल नम्बर :..................................
7. E Mail :..................................
8. वर्ग : SC/ ST/ OBC/ General
9. प्रवेश क्र० एवं दिनांक :.................................
10. पता..

....

11. आवेदक द्वारा प्राप्त पुरस्कार :

विवरण	वर्ष	संस्था	स्तर	विशेष

12. क्या आवेदक पूर्व में NSS का स्वयं सेवक था : हाँ / नहीं
13. यदि हाँ तो संस्था का नाम : ....
14. यदि A/B प्रमाणपत्र धारी है तो छायाप्रति संलग्न करें।
15. अभिरुचि : ....

दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर

पंजीयन क्र.................... दिनांक ....

रा से यो अधिकारी के हस्ताक्षर

राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC)

प्रवेश आवेदन पत्र (पंजीयन)

2025-26

1. संस्था का नाम : शासकीय मुकुटधर पांडेय महाविद्यालय, कटघोरा, कोरबा (छ ग)
2. सम्बद्ध बटालीयन : 1 CG BN NCC, Korba
3. आवेदक का नाम : श्री/कु०…………………………………………………..
4. पिता का नाम : श्री ………………………………………………..
5. जन्म तिथि : ……………………………
6. मोबाइल नम्बर :……………………………..
7. E Mail :……………………………..
8. Blood Group :……………………………
9. वर्ग : SC/ ST/ OBC/ General
10. प्रवेश क्र० एवं दिनांक :……………………………
11. पता……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
12. आवेदक द्वारा प्राप्त पुरस्कार :

विवरण	वर्ष	संस्था	स्तर	विशेष

13. क्या आवेदक स्कूल में NCC का स्वयं सेवक था : हाँ / नहीं
14. यदि हाँ तो संस्था का नाम : …………………………………………………..
15. यदि A प्रमाणपत्र धारी है तो छायाप्रति संलग्न करें।
16. अभिरुचि : ……………………………………………………………

दिनांक ………………… आवेदक के हस्ताक्षर

पंजीयन क्र……………….. दिनांक ……………….. NCC CTO के हस्ताक्षर

महिला छात्रावास
प्रवेश आवेदन पत्र (पंजीयन)
2025-26

1. संस्था का नाम : शासकीय मुकुटधर पांडेय महाविद्यालय, कटघोरा, कोरबा (छ ग)
2. आवेदक का नाम : कु०………………………………………………..
3. पिता का नाम : श्री ………………………………………………..
4. जन्म तिथि : …………………………….
5. मोबाइल नम्बर :……………………………..
6. E Mail :……………………………..
7. वर्ग : SC/ ST/ OBC/ General
8. परीक्षा परिणाम : पिछली उत्तीर्ण परीक्षा का प्रतिशत ………… %
9. प्रवेश क्र० एवं दिनांक :……………………………..
10. पता……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..

दिनांक ……………….. आवेदक के हस्ताक्षर

मैं अपनी पुत्री को महाविद्यालय महिला छात्रावास में प्रवेश हेतु अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। मेरी पुत्री छात्रावास एवं महाविद्यालय के सभी नियमों का पालन करेगी। मैं निर्धारित शुल्क भी समय पर जमा करने हेतु अपनी अभिस्वीकृति प्रदान करता हूँ।

पिता/ माता का नाम –
मोबाइल नम्बर – पिता/ माता के हस्ताक्षर

छात्रावास वार्डन की टीप :

पंजीयन क्र……………….. दिनांक ………………..

हस्ताक्षर (वार्डन)

सभी छात्र निम्न जानकारी अनिवार्य रूप से भरें

1. आधार नम्बर : ....

2. बैंक का खाता नम्बर (स्वयं का) : ....

3. बैंक का नाम एवं शाखा : ....

4. बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं : है / नहीं है

5. Whats app नम्बर : ....

6. मेल ID : ....

7. ब्लड ग्रुप : ....

8. वोटर ID कार्ड नम्बर : ....

Library Membership Form

2025-26

फ़ोटो लगाएँ

(पिछले वर्ष की ग्रंथालय कार्ड संख़्या) : ……………………………

(ऐसे छात्र जिन्होंने पिछले सत्र में स्वाध्यायी या दूसरे महाविद्यालय से अध्ययन किया है वे छात्र ग्रंथालय कार्ड संख़्या में स्वाध्यायी या पिछले अध्ययनरत महाविद्यालय का नाम लिखें)

छात्र का नाम : ....

कक्षा : ……………………………

पिता का नाम : ....

लिंग : M / F / TG

जन्मतिथि : …………………………..

आधार नम्बर : ……......................................

पता : ....

……………………………………………………………………

जिला . ... राज्य ....पिन कोड ....

Whatsapp मोबाइल नम्बर : ....

Email ID (CAPITAL में लिखें) : ....

Identity Card Format

(इसे अनिवार्य रूप से भरें)

NAME: ....

FATHER'S NAME: ....

CLASS: ....

DATE OF BIRTH: ....

MOBILE NO: ....

ADDRESS: ....

(STUDENT'S SIGNATURE)

महाविद्यालय की झलकियाँ

Republic Day

KABADDI360
6TH ASIAN KABADDI CHAMPIONSHIP, TEHRAN, IRAN - 2025 (WOMEN)
INDIA SQUAD
SONALI SHINGATE (C)
PUSHPA RANA (V.C.)
JYOTI THAKUR
SAKSHI SHARMA
POOJA KAJLA
BHAVNA DEVI
POOJA NARWAL
NIDHI SHARMA
AMRPALI GALANDE
RITU
NEHA DAKSH
SANJU DEVI

"Live as if you were to die tomorrow Learn as if you were to live forever"
Mahatma Gandhi
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
8 मार्च
GPS Map Camera
Katghora, Chhattisgarh, India
Fhw6+cg9, Katghora, Chhattisgarh 495445, India
Lat 22.495974° Long 82.561253°
10/03/2025 02:45 PM GMT +05:30
Google

21 फरवरी
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस
GPS Map Camera
Katghora, Chhattisgarh, India
Fhw6+cg9, Katghora, Chhattisgarh 495445, India
Lat 22.495992° Long 82.561264°
21/02/2025 12:51 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Katghora, Chhattisgarh, India
Fhw6+cg9, Katghora, Chhattisgarh 495445, India
Lat 22.495685° Long 82.561742°
02/01/25 03:20 PM GMT +05:30
Google

हिन्दी विभाग
GPS Map Camera
Katghora, Chhattisgarh, India
Fhw6+cg9, Katghora, Chhattisgarh 495445, India
Lat 22.496168° Long 82.561456°
19/12/24 11:36 AM GMT +05:30
Google

"Nothing Like Voting, I Vote for Sure"
राष्ट्रीय मतदाता दिव
25 जनवरी 2024
जिला स्तरीय समारोह
GPS Map Camera
Korba,CT,India
Katghora Main Road, Katghora, Korba, 495444, CT, India
Lat 22.496130, Long 82.561432
01/25/2024 11:41 AM GMT+05:30
Note : Captured by GPS Map Camera

:ज्ञानमेव शक्तिः:

ANNUAL
SPORTS DAY
And
ANAND FAIR

"संविधान दिवस"
26 नवम्बर
GPS Map Camera
Katghora, Chhattisgarh, India
Fhw6+cg9, Katghora, Chhattisgarh 495445, India
Lat 22.495944° Long 82.561253°
26/11/24 11:16 AM GMT +05:30
Google

शासकीय मुकुटधर पाण्डेय महाविद्यालय कटघोरा जिला कोरबा (छ. ग.)

GPS Map Camera
Katghora, Chhattisgarh, India
FHW6+CG9, Katghora, Chhattisgarh 495445, India
Lat 22.495446°
Long 82.561589°
15/08/23 08:12 AM GMT +05:30
Google

:ज्ञानमेव शक्तिः

GPS Map Camera
Google
Katghora, Chhattisgarh, India
227, Opposite Hari Krishna, Hospital, Katghora, Chhattisgarh 495445, India
Lat 22.495364° Long 82.562348°
28/02/25 09:53 AM GMT +05:30

GPS Map Camera
Google
Katghora, Chhattisgarh, India
227, Opposite Hari Krishna, Hospital, Katghora, Chhattisgarh 495445, India
Lat 22.495425° Long 82.56233°
25/02/25 10:37 AM GMT +05:30

NEP-2020 के अंतर्गत छात्रों को प्रदत्त Assignment के माध्यम से रचनात्मक कृतियों का सृजन

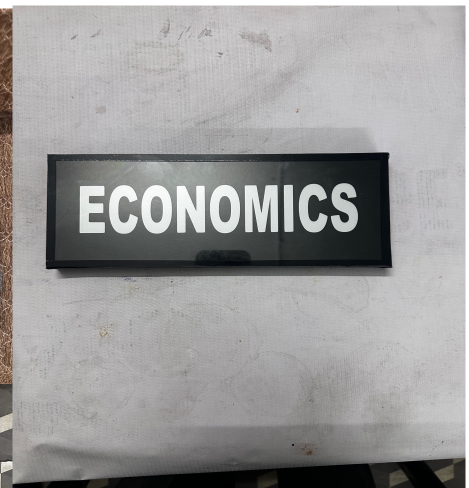

शास.मु.ध.पा.महाविद्यालय कटघोरा